प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण जन मानस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाये जाने हेतु काफी संख्या में आवेदन कर रहें हैं। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड योजनान्तर्गत राशन कार्ड बनाये जाने हेतु कुछ व्यक्ति/परिवार गलत तथ्य देकर राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन कर रहें हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य आयकर दाता है या परिवार में चार पहिया वाहन है या ए0सी0 लगवाये है या जिनके पास 5 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है या 100 वर्गमीटर से अधिक का आवसीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान या 100 वर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवसीय फ्लैट या 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो या एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) के अन्तर्गत अपात्र की श्रेणी में आते हैं। संदर्भित निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति/परिवार यदि गलत तथ्य देकर राशन कार्ड बनवा लेते है तथा राशन प्राप्त करते हैं, तो सम्बन्धित व्यक्ति/परिवार से नियमानुसार वसूली करने की कार्यवाही की जा सकती है। अपात्र कार्डधारक अपना राशनकार्ड सरेन्डर कर दें।

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला पूर्ति अधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांकः /जि0पू0का0/दु0अनु0–प्रेस वि0/2020, दिनांकः , अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
02. अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) महोदय, कानपुर नगर।
03. उप निदेशक सूचना, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि वे समस्त प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
04. समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कानपुर नगर।
05. अन्य समस्त सम्बन्धित को।

01/05/2020

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला पूर्ति अधिकारी
कानपुर नगर।